(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 76 / 2023 दावा
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 11.07.2024

1. रामगोपाल पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० ।
2. चतुर्भुज पुत्र मोहरु जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० ।

वादीगण

बनाम

1. बालूराम पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० ।
2. जगदीश पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० ।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सीताराम सैनी वकील वादीगण

श्री पप्पू लाल सैनी वकील प्रतिवादीगण

वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
धारा 88 व 188

निर्णय दिनांक:– 11.07.2024

वाद के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, ख.न. 277 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख0नं0 278 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, ख.न. 279 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खन. 281 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.0875 हैक्टेयर खाता संख्या 67 के खसरा नम्बर 276 रकबा 1.4415 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 299 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, ख.न. 300 रकबा 0.3920 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.1507

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां, पटवार हल्का मांदी, भू.अ.नि.क्षेत्र फागी, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे हैं । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के वंशज व सदस्य हैं, सिजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व. मोहरूराम के जायदा विधिक वारिसान हैं। उक्त आराजीयात को स्व. रामचंद्र ने अपनी संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 12.06.2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर वादीगण के नाम लगवा दी वरवक्त विक्रय पत्र के समय वादीगण रामचंद्र के पास रहते थे एवं रामचंद्र की सेवा–सुश्रुषा वादीगण ही करते थे इसलिये रामचंद्र ने वादीगण की वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया जबकि वादीगण मोहरूराम के जायंदा पुत्र हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जायंदा पिता मोहरूराम का नाम उक्त विक्रय पत्र में अंकित है। उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे हैं इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त आराजीयात का दिनांक 12.06.2002 को रामचंद्र ने विक्रय पत्र का सारा खर्चा वहन कर नाऔलाद होने से अपने सगे भाई मोहरूराम के लडकों के नाम रजिस्टर्ड करवाया है उसमें रजिस्ट्री का सारा खर्चा रामचंद्र ने ही वहन किया है इसलिये रामचंद्र के पास ही वादीगण (दोनों भाई) रहते थे इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मोहरूराम के बजाय रामचंद्र करवा दिया जबकि वादीगण का जायंदा पिता मोहरूराम है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामचंद्र के बजाय मोहरूराम एवं वादी संख्या 1 का नाम गोपाल की बजाय रामगोपाल पुत्र मोहरूराम रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी स्व. रामचंद्र के द्वारा वादीगण के पक्ष में क्रय की गई खातेदारी भूमि है। रामचंद्र का देहान्त हो चुका है। वादीगण के जायंदा पिता मोहरूराम का भी देहांत हो गया है, जिसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 373 दिनांक 20.10.2014 को ग्राम पंचायत, मांदी द्वारा स्वीकृत किया गया है उक्त मोहरू की विरासत से प्राप्त सम्पत्ति का हकत्याग वादीगण ने अपने सगे भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करवा दिया है लेकिन वादीगण रामचंद्र के पास रहने से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

पिता का नाम रामचंद्र विक्रय पत्र में दर्ज करवा दिया इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 गोपाल पुत्र रामचंद्र के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मोहरूराम व वादी संख्या 2 के पिता का नाम चतुर्भुज पुत्र रामचंद्र के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र मोहरू जाति जाट किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। गोपाल पुत्र रामचंद्र व रामगोपाल पुत्र मोहरू एवं चतुर्भुज पुत्र मोहरू व चतुर्भुज पुत्र रामचंद्र, जाति जाट, ग्राम मोहनपुरा रणवां, तह. फागी में उक्त नाम के व्यक्ति है इस नाम के अलावा इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मोहनपुरा रणवां में नहीं है, बल्कि वादीगण के जायंदा पिता का आधारकार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में वादीगण के पिता का नाम मोहरूराम दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादीगण के जायदा पिता का नाम मोहरू सही है इसलिये वादी संख्या 1 का नाम गोपाल के बजाय रामगोपाल व वादीगण के पिता का नाम रामचंद्र के स्थान पर मोहरू, जाति जाट राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। वादीगण ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात के वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोहरू के विधिक वारिसान होने से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन वादीगण के पिता का नाम वादीगण रामचंद्र के पास रहने से विक्रय पत्र में रामचंद्र दर्ज करवा दिया जबकि वादीगण के जायंदा पिता का नाम मोहरू है इसलिये दोनों ही नामों से उक्त आराजी में नाम भी अलग–अलग हो गये जबकि वादीगण के जायंदा पिता का नाम मोहरू, जाति जाट सही है जिसका राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपना व अपने पिता का नाम रामगोपाल पुत्र मोहरूराम व चतुर्भुज पुत्र मोहरूराम दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। अभी हाल ही में दिनांक 10.07.2023 को वादीगण ने उक्त आराजी पर किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का के पास नकले लेने गया तो अपने पिता की वल्दियत की अलग–अलग नाम होने की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका व आपके पिता का नाम रिकार्ड में 'गोपाल पुत्र रामचंद्र व चतुर्भुज पुत्र रामचंद्र है जबकि सही नाम रामगोपाल पुत्र मोहरू व चतुर्भुज पुत्र मोहरू है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजीयात मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को इस

लगातार.........................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

वाद की सुनवाई व निस्तारण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। दिनांक 20.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री पप्पूलाल सैनी उपस्थित आये तथा राजीनामा मय वकालतनाम पेश किया। साथ ही इकबालिया जवाब–दावा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अपने जबाब मे बताया की विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, ख.न. 277 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खन. 278 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, ख.न. 279 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खन. 281 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.0875 हैक्टेयर खाता संख्या 67 के खसरा नम्बर 276 रकबा 1.4415 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 299 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, ख.न. 300 रकबा 0.3920 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। दिनांक 20.06.2024 को पक्षकारान स्वयं उपस्थित आये वादीगण की पहचान वकील श्री सीताराम सैनी द्वारा की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान वकील श्री पप्पूलाल सैनी द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढकर, सुन, समझकर बताया गया। पक्षकारान ने राजीनाम सही होना स्वीकार कर आदेशिका पर सहमति अंगुठा निशानी/हस्ताक्षर अंकित किये। राजीनामा तस्दीक किया गया। वकील वादी ने वादीगण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये।

वाद पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने बताया कि वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व. मोहरूराम के जायंदा विधिक वारिसान है उक्त आराजीयात को स्व. रामचंद्र ने अपनी संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 12.06.2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर वादीगण के नाम लगवा दी वरवक्त विक्रय पत्र के समय वादीगण रामचंद्र के पास रहते थे एवं रामचंद्र की सेवा–सुश्रुषा वादीगण ही करते थे इसलिये रामचंद्र ने वादीगण की वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया जबकि वादीगण मोहरूराम ने जायंदा पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जायंदा पिता मोहरूराम का नाम उक्त विक्रय पत्र में अंकित है। उक्त आराजयात वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार..................5

(5)

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिये वादीगण उक्त आराजयात की खातेदारी अधिकारो की घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त आराजीयात का दिनांक 12.06.2002 को रामचंद्र ने विक्रय पत्र का सारा खर्च वहन कर नाऔलाद होने से अपने सगे भाई मोहरूराम के लडको के नाम रजिस्टर्ड करवाया है उसमें रजिस्ट्री का सारा खर्चा रामचंद्र ने ही वहन किया है इसलिये रामचंद्र के पास ही वादीगण (दोनो भाई) रहते थे इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मोहरूराम के बजाय रामचंद करवा दिया जबकि वादीगण का जायंदा पिता मोहरूराम हैं इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामचंद्र के बजाय मोहरूराम एवं वादी संख्या 1 का नाम गोपाल की बजाय रामगोपाल पुत्र मोहरूराम रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। इसलिये मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा इस आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजीयात में वादीगण दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। वादीगण का नाम गोपाल पुत्र रामचंद्र के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मोहरू व चतुर्भुज पुत्र रामचंद्र के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र मोहरू दुरूस्त किया जाकर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/7/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

रामगोपाल वगै0 बनाम बालूराम वगै0
मु0न0:– 76 / 2023
निर्णय दिनाक:–11.07.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

रामगोपाल पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० ।
चतुर्भुज पुत्र मोहरु जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० ।

वादीगण

बनाम

बालूराम पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।
जगदीश पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा रणवां, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।
. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज ।

प्रतिवादीगण

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 76 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू वकील तिवादी पप्पू लाल सैनी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद वेरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 0. 035 हैक्टेयर, ख.न. 277 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, ख.न. 278 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, ख.न. 279 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खन. 281 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.0875 हैक्टेयर खाता संख्या 67 के खसरा नम्बर 276 रकबा 1.4415 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 299 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, ख.न. 300 रकबा 0.3920 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.1507 भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा रणवां तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन वादीगण का नाम गोपाल पुत्र रामचंद्र के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मोहरू व चतुर्भुज पुत्र रामचंद्र के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र मोहरू दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज **NIL** मुबलिग **NIL** बाबत **NIL** खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह **NIL** फीसदी. **NIL** सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक **NIL** का अदा करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना – अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.07.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा....................

ई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
ाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		
हन्ताना वकील			महन्ताना वकील		NIL
ख़र्चा गवाहान		NIL	खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी.जिला–दूदू